

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 19738

दिनांक:- 29-8-19

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय: शहरी निकायों को वर्ष 2019-20 में माह अगस्त 2019 एवं सितम्बर 2019 (दो माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य की शहरी निकायों को वर्ष 2019-20 में माह अगस्त 2019 एवं सितम्बर 2019 (दो माह) के लिए स्वीकृत चुंगी पुनर्भरण अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि में से निम्नांकित स्वीकृतियों द्वारा पेंशन अंशदान की बकाया राशि के पेटे कुल राशि रुपये 358.67 लाख की कटौति विभागीय स्तर पर की गयी है :-

01. लेखा/ प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 19454-501
दिनांक 29-08-2019 (स्वीकृति संलग्न)

राशि रुपये 125.92 लाख

02. लेखा/ प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 19502-737
दिनांक 29-08-2019 (स्वीकृति संलग्न)

राशि रुपये 232.75 लाख

राशि रुपये 358.67 लाख

योग

उक्त राशि रुपये 358.67 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड़ अठावन लाख सड़सठ हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर (1110) के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगम को सहायता

(03)-विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध

[00]

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)

राशि रुपये 125.92 लाख

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता

(45)-विशेष अनुदान

[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)

राशि रुपये 232.75 लाख

कुल राशि : 358.67 लाख

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 171900629 दिनांक 27.08.2019 के क्रम में जारी की गई है।

29/8/19
(उज्जवल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 29-8-19

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 19739-942

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रुपये 358.67 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन की स्वीकृति जारी करावें।
02. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगमो/परिषदो/पालिकाओ, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के तहत कटौतियों का लेखांकन निकाय के लेखों में सुनिश्चित किया जावें।
05. लेखाधिकारी (पेंशन), निदेशालय।
06. अंक मिलान शाखा/सुरक्षित पत्रावली।

(अंजु गोयल)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(77)वित्त-1(1)आय व्ययक/2018/

दिनांक 05.09.2019

कोषाधिकारी,
सचिवालय जयपुर।

(स्वीकृति संख्या 245 /2019-20)

विषय:- शहरी निकायों को वर्ष 2019-20 में माह अगस्त 2019 एवं सितम्बर 2019 (02 माह) के लिए चुगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु. अनु/2017-18/19738-942 दिनांक 29.08.2019 के क्रम में राशि रुपये 358.67 लाख (अक्षरे रुपये तीन करोड़ अठ्ठावन लाख सड़सठ हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित कर दी जावे:-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 191 - नगर निगम को सहायता (03)-विशेष अनुदान (प्रतिबद्ध) [00]- 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रुपये 125.92 लाख	8011- बीमा तथा पेंशन निधि 106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि (02)-नगरपरिषदों/ नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधियां राशि रुपये 358.67 लाख
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता (45)-विशेष अनुदान [01]-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) राशि रुपये 232.75 लाख	
योग 358.67 लाख	358.67 लाख

भवदीय

६

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंशेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
06. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
07. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
08. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)